भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1781

गुरुवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना</u>

1781. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सुखबीर सिंह जौनापुरियाः
श्री मोहनभाई कुंडारियाः
श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अधिकांश सुदूर गांवों और जनजातीय क्षेत्रों में ऑफ-ग्रिड विद्युत प्रदान करने वाली सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना की स्थिति क्या है;

(ख) अब तक ऑफ-ग्रिड कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों और अत्यधिक पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों की संख्या की सूची क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में राजस्थान और हरियाणा सहित राज्य-वार कौन-सी समस्याएं सामने आ रही हैं;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सोलर स्ट्रीट लाइटों सहित सोलर ऑफ-ग्रिड आवेदनों हेतु राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में किसी कमी की सूचना दी गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) सरकार द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रोत्साहन क्रियाकलापों के लिए प्रदान की गई सीएफए का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का और कुशलता लाने के लिए एलईडी आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट और दीर्घ अनुरक्षण निःशुल्क सेवा के लिए लिथियम फेरो फोसफेट बैटरी का समर्थन करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार द्वारा नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सूचना और जनजागरूकता संबंधी कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा वर्तमान में देश में सौर स्ट्रीट लाइटें (एसएसएल) लगाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं –

(i) ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III; और

(ii) अटल ज्योति योजना (अजय) चरण-II

एमएनआरई के ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-3 के तहत, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस योजना के अंतर्गत उनकी मांग और उपलब्ध क्षमता के आधार पर सौर स्ट्रीट लाइटों का आवंटन किया जाता है। साथ ही, सुदूर गांवों और आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों के लिए संबंधित राज्य की अक्षय ऊर्जा नोडल एजेंसियां, जो कि राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, द्वारा एसएसएल का आवंटन किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए बेंचमार्क लागत का 30% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए बेंचमार्क लागत के 90% तक की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

देश में अटल ज्योति योजना (अजय) चरण-II के अंतर्गत चुनिंदा संसदीय क्षेत्रों में एसएसएल (सौर स्ट्रीट लाइट) लगाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत, सौर स्ट्रीट लाइट की 75% लागत एमएनआरई तथा शेष 25% राशि संबंधित संसद सदस्य के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) निधि से प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत माननीय सांसद द्वारा सुझाए गए स्थानों पर एसएसएल की संस्थापना की जाती है जिसमें संसदीय क्षेत्र के सुदूर गांव और आदिवासी क्षेत्र भी शामिल हैं।

एमएनआरई की योजनाओं के तहत, दिनांक 31.10.2019 तक, लगाई गई स्ट्रीट लाइटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विवरण अनुलग्नक-**I** पर दिया गया है।

एसएसएल कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों द्वारा बताई गई समस्याओं में कुछ सुदूर क्षेत्रों की कठिन भौगोलिक स्थिति और कठिन मौसम की स्थितियां वाले इलाके तथा वारंटी अवधि के खत्म हो जाने के बाद एसएसएल का रखरखाव भी शामिल हैं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में 31.10.2019 तक सौर स्ट्रीट लाइटों सहित ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों के लिए जारी की गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का ब्यौरा अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

(घ) एसएसएल कार्यक्रम में राज्यों द्वारा सूचित कमियों में कुछ सुदूर क्षेत्रों में कठिन भौगोलिक स्थितियां और कठोर मौसम स्थितियों के कारण परियोजनाएं पूरी करने में अधिक लागत और लम्बी अवधि तथा वारंटी अवधि के बाद एसएसएल का रखरखाव शामिल है।

(ङ) ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III के अंतर्गत, राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसियों को पात्र सीएफए का 3 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क प्रदान किया जाता है। इस धनराशि का उपयोग लाभार्थियों की पहचान करने, जागरूकता अभियान चलाने आदि के लिए भी किया जाता है।

(च) ऑफ ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण-III तथा अटल ज्योति योजना चरण-2 योजनओं के तहत, सरकार ने रोशनी की तीव्रता बढ़ाने और लम्बी अवधि तक रखरखाव मुक्त बैटरी के लिए क्रमशः 12 वाट की एलईडी लाइट एवं लिथियम फैरो फॉस्फेट बैटरी के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की शुरुआत की है।

(छ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा जनता में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के बारे में जागरुकता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिन्ट और आउटडोर मीडिया, प्रदर्शनियों, सेमिनारों और संगोष्ठि इत्यादि के माध्यम से 'सूचना और जन-जागरुकता (आई एंड पीए) कार्यक्रम' कार्यान्वित किया जा रहा है।

अनुलग्नक-I

'सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1781 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

दिनांक 31.010.2019 तक संस्थापित सौर स्ट्रीट लाइटों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	सौर स्ट्रीट लाइट (संख्या)
1	आंध्र प्रदेश	8992
2	अरुणाचल प्रदेश	5008
3	असम	9554
4	बिहार	33609
5	छत्तीसगढ़	2042
6	दिल्ली	301
7	गोवा	707
8	गुजरात	2004
9	हरियाणा	34625
10	हिमाचल प्रदेश	78000
11	जम्मू और कश्मीर (लद्दाख सहित)	14,156
12	झारखंड	12148
13	कर्नाटक	2694
14	केरल	1735
15	मध्य प्रदेश	11496
16	महाराष्ट्र	10420
17	मणिपुर	11205
18	मेघालय	5800
19	मिजोरम	5325
20	नागालैंड	6235
21	ओडिशा	16,361
22	पंजाब	42,758
23	राजस्थान	7114
24	सिक्किम	504
25	तमिलनाडु	39,419
26	तेलंगाना	1220
27	त्रिपुरा	1199
28	उत्तर प्रदेश	263,817
29	उत्तराखंड	23,879
30	पश्चिम बंगाल	8726
31	अंडमान और निकोबार	390
32	चंडीगढ़	898
33	लक्षद्वीप	2465
34	पुडुचेरी	417
35	अन्य	9150
	कुल	**674,373**

<u>अनुलग्नक-II</u>

'सोलर स्ट्रीट लाइट परियोजना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 28.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1781 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

सौर ऑफ ग्रिड कार्यक्रम के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा

वर्ष	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
2016-17	550.65
2017-18	884.25
2018-19	603.93
2019-20	190.68*

*दिनांक 31.10.2019 तक वर्ष 2019-20 में किया गया व्यय।

*****